वेब परिचालन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं: हि.अ. - 8(2)2015-16/वा.का./11 दिनांक: 05 APR 2017

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल), / निदेशक, पीडीयूएनएएसएस
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय सहित),
सभी प्रभारी अधिकारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय ।

विषय: वार्षिक कार्यक्रम- वर्ष 2017-18 अनुपालन ।
Compliance of Annual Programme – year 2017-18

महोदय/महोदया,

हिंदी के प्रचार - प्रसार और उसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए तथा विभिन्न सरकारी कार्यों में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी करने के क्रम में प्रतिवर्ष राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है । इस कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सार्थक प्रयास करने की दिशा में वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है । इस कार्यक्रम की प्रति राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है । इस संबंध में सभी से अनुरोध है कि वार्षिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी संभव प्रयास किए जाएं ।

संलग्न: उपर्युक्त

भवदीया,
5/4/17
(दीपा)
उप निदेशक (रा.भा.)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्यालय के सभी अधिकारीगण ।
2. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान ।
3. उपनिदेशक (सतर्कता) सभी अंचल ।
4. सभी आंचलिक लेखा परीक्षा दल ।
5. उपनिदेशक (रा.भा.), मुम्बई/हैदराबाद/कोलकाता ।
6. संयुक्त निदेशक (रा.भा.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
7. क्षे.भ.नि.आ.(एन.डी.सी.) को वेब पर अपलोड हेतु प्रेषित ।

(वीणा यादव)
सहायक निदेशक (रा.भा.)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

2017-18

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए

वार्षिक कार्यक्रम

ANNUAL PROGRAMME

FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन	1-5
2.	राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश	6-12
3.	हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्यक्रम	13-15

प्राक्कथन

दिनांक 18 जनवरी, 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह व्यक्त किया गया है कि:

"यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए गए उपायों एवं की गई प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी.........."

उक्त संकल्प के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों द्वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है । इसके लिए हिंदी बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर जिन तीन क्षेत्रों के रूप में देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है, उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्यक्रम इसी क्रम में जारी किया जा रहा है । इन तीनों क्षेत्रों, यथा - 'क','ख' और 'ग' का विवरण इस प्रकार है:-

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
क	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र।
ख	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ।
ग	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में प्रगति हुई है, किंतु अब भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं । सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है किंतु अभी भी बहुत-सा काम अंग्रेजी में हो रहा है। लक्ष्य यह है कि सरकारी कामकाज में सामान्यत: हिंदी का प्रयोग हो । यही संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जनता की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी ।

वर्तमान युग में कोई भी भाषा वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी विषयों से जुड़े बिना नहीं पनप सकती । इसलिए सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों में वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी विषयों में हिंदी के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। राजभाषा हिंदी का शब्दकोश बहुत व्यापक है तथा यह वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी विषयों को समाहित करने में समर्थ है । व्यावहारिक रूप से अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने के लिए भाषा को सरल एवं सहज रूप में लिखा जाए ताकि आम जनता को वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि यह सुस्पष्ट है कि वर्तमान समय में लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय कार्यालयों/उपक्रमों में कम्प्यूटर, ई-मेल, वेबसाइट सहित सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं उपलब्ध होने से वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करना और भी आसान हो गया है ।

वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित बिंदु विशेष रूप से विचारणीय हैं:-

- यह जरूरी है कि संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के नौ खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए ।
- कम्प्यूटर, ई-मेल और वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए हिंदी में काम को बढ़ाया जाए ।
- संबंधित विभाग वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिंदी में छपवाकर उसे जनसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय करें।
- हिंदी शिक्षण योजना कैलेंडर वर्ष 2025 में समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/आशुलिपि संबंधी प्रशिक्षण कार्य में तीव्रता लाएं और सभी संबंधितों को प्रशिक्षण दिलवाने का कार्य समय-सीमा में पूर्ण करें ताकि तत्संबंधी लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त किया जा सके।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में 'पारंगत' नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसकी कक्षाएं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा कार्यालय समय में संचालित की जाएंगी।
- इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों /उद्यमों/अभिकरणों/निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे । राजभाषा विभाग द्वारा संचालित 'पारंगत' कार्यक्रम का पाठ्यक्रम मुख्यतः अभ्यास आधारित है जिसमें कुल प्रशिक्षण समय का 80 प्रतिशत समय अभ्यास के लिए और शेष 20 प्रतिशत समय सैद्धांतिक पाठ्यक्रम पर चर्चा के लिए निर्धारित है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग द्वारा संचालित 'पारंगत' कार्यक्रम निम्नलिखित दो व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित किया जाता है-

(i) प्रथम व्यवस्था में यह कार्यक्रम गहन रूप से 20 कार्यदिवसों (160 घंटे) में पूरा होगा और

(ii) द्वितीय व्यवस्था में इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 1 घंटे अथवा एकांतर दिवसों में डेढ़ घंटे की कक्षाएं होंगी। इस व्यवस्था में यह पाठ्यक्रम 5 माह में पूरा होगा ।

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत आधार पर परीक्षा ली जाएगी।

- राजभाषा कार्य से संबंधित अधिकारियों को विभाग के समस्त कार्यकलापों से परिचित कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने दायित्व अच्छी तरह निभा पाएं ।
- मंत्रालय/विभाग/कार्यालय अपने विषयों से संबंधित संगोष्ठियां हिंदी माध्यम में आयोजित करें ।
- प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी नामित किए जाएं तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा व राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों (उ.स/नि./सं.स.) द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जाए।
- मंत्रालय/विभाग अपने यहां हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन अविलंब करते हुए उनकी बैठक नियमित आधार पर कराना सुनिश्चित करें । बैठक में लिए गए निर्णयों का पूरी तरह अनुपालन किया जाए ।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) की बैठकों का नियमित आधार पर आयोजन किया जाए तथा इनमें राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी समय-समय पर भाग लें।
- संघ की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है । तथापि, राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए । जानबूझकर राजभाषा संबंधी आदेशों की अवहेलना के लिए मंत्रालय/विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं ।
- मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शत-प्रतिशत कम्प्यूटरों में हिन्दी में काम करने की सुविधा विकसित की जाए तथा अंतर मंत्रालयी/ अंतर विभागीय पत्राचारों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों के साथ किए जाने वाले पत्राचारों में ई-मेल/इलेक्ट्रॉनिक संदेशों आदि में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

- तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु राजभाषा विभाग ने एक वेब आधारित ऑनलाइन सिस्टम विकसित करवाया है । केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों से अपेक्षित है कि आगे से सभी रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपरोक्त ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से ही भेजें ।. यह सिस्टम विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है!
- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में गठित हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों में राजभाषा विभाग द्वारा माननीय सदस्यों के विचारार्थ दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चैक-लिस्ट को ध्यान में रखा जाए। यह राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (न.रा.का.स.) को बनाने का उद्देश्य केंद्र सरकार के देश भर में फैले कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करना है। इस मंच पर कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के अधिकारी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा तथा उत्कृष्ट कार्य-प्रणालियों की जानकारी का आदान-प्रदान कर अपने-अपने उपलब्धि स्तर में सुधार ला सकते हैं। वर्ष में समिति की दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रथम बैठक गठन के दो माह के अंदर व दूसरी उसके छः माह पश्चात की जानी अपेक्षित है। समिति की बैठकों के लिए माहों का निर्धारण राजभाषा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार किया जाता है। समिति की बैठकों में नगर विशेष में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के कार्यालय प्रमुखों द्वारा स्वयं भाग लेना अपेक्षित है क्योंकि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के तहत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में समय-समय पर जारी कार्यकारी आदेशों के अनुपालन का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख को सौंपा गया है। राजभाषा विभाग (मुख्यालय)/क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारी भी इन बैठकों में भाग लेते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा तय किए गए मानदंडों के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को राष्ट्रीय स्तर पर "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" तथा क्षेत्रीय स्तर पर "राजभाषा पुरस्कार" देकर सम्मानित किया जाता है। न.रा.का.स. की बैठकों में विचारार्थ बिंदुओं की चैक लिस्ट न.रा.का.स. के गठन के समय आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध कराई जाती है ।
- संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के खंड 8 की सिफारिश संख्या 70 पर जारी आदेश का अधिक्रमण करते हुए खंड 9 की सिफारिश संख्या 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती हैं कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा ।
- हिंदी के समाचार पत्रों में हिंदी में ही विज्ञापन दिए जाएं तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में अंग्रेजी में विज्ञापन दिए जाएं । जब अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दिया जाए कि "अधिसूचना/विज्ञापन/रिक्ति संबंधी परिपत्र" का हिंदी रुपांतर वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस के लिए पूर्ण लिंक भी दिया जाए।

- सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अन्य के साथ-साथ यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में सभी कार्मिकों को हिंदी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए । वर्तमान में यह देखा जाता है कि हिंदी प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता के बावजूद कार्मिकों को प्रशिक्षण अंग्रेजी में दिया जा रहा है जिसके कारण वे सरकारी कामकाज हिंदी में नहीं कर पाते । कर्मचारियों तथा अधिकारियों को आरंभिक प्रशिक्षण व सेवाकालीन प्रशिक्षण हिंदी में दिए जाने से वह मूल रूप से हिंदी में कार्य करने में सक्षम हो सकेंगें । केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से हिंदी माध्यम से दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए क/ख/ग क्षेत्रों में इस बार लक्ष्य निर्धारित किया गया है । निर्देशों के अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ प्रशिक्षण केंद्रों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

राजभाषा विभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं केंद्रीय उपक्रमों से समस्त कार्यपालिका को राजभाषा प्रयोग संबंधी सौंपे गए संवैधानिक और सांविधिक दायित्वों के निष्पादन में और वर्ष 2017-18 के वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में अभीष्ट व स्वैच्छिक समर्थन की आशा और अपेक्षा करता है ।

मार्च, 2017

गृह राज्य मंत्री (आर)
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा-पत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किए जाएं । किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा ।

2. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप से हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं । साक्षात्कार में भी वार्तालाप में हिंदी माध्यम की उपलब्धता अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए ।

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा उनसे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में सभी सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में (अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं सहित) अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए । प्रश्न पत्र अनिवार्यत: दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में तैयार कराए जाएं । जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां भी प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प दिया जाए ।

3. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए । उक्त शोध पत्र संबद्ध मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित होने चाहिए ।

4. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यत: हिंदी माध्यम से होना चाहिए । 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए ।

5. केंद्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंकण करने वाले व हिंदी आशुलिपिक संबंधी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकण करने वाले व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

6. अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराके रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखे जाएं ।

7. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाएं-

ग्राहकों द्वारा हिंदी में भरे गए आवेदनों और ग्राहकों की सहमति से अंग्रेजी में भरे गए आवेदनों पर जारी किए जाने वाले मांग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी प्रकार की सूचियां, विवरणियां,सावधि जमा रसीदें, चैक बुक संबंधी पत्र आदि, दैनिक बही, मस्टर, प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियां, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा एवं ग्राहक सेवा संबंधी कार्य, नये खाते खोलना, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य, बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त आदि ।

8. विदेश स्थित भारतीय कार्यालयों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों आदि की लेखन सामग्री, नाम पट्ट, सूचना पट्ट, फार्म प्रक्रिया संबंधी साहित्य, रबड़ की मोहरें, निमंत्रण पत्र आदि अनिवार्य रूप से हिंदी-अंग्रेजी में बनवाए जाएं ।

9. भारत सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, बैंको, उपक्रमों आदि द्वारा असांविधिक प्रक्रिया साहित्य जैसे नियम, कोड, मैनुअल, मानक फार्म आदि का अनुवाद कराने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेजा जाए ।

10. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण पर नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा इस कार्य के लिए किया जा सकता है ।

11. भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है ताकि सरकारी कामकाज में वे इसका प्रयोग कर सकें । तथापि, अधिकांश अधिकारी सेवा में आने के पश्चात सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग नहीं करते । इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता। परिणामस्वरूप, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों/उपक्रमों आदि के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें । इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में गति मिलेगी ।

12. सभी मंत्रालय/विभाग आदि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो ।

13. तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिन के भीतर राजभाषा विभाग को उपलब्ध करा दी जाए ।

14. सरकार की राजभाषा नीति के प्रति अधिकारियों/कर्मचारियों को सुग्राही बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा को मात्र राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों तक ही सीमित न रखा जाए । इस संबंध में मॉनीटरिंग को और अधिक प्रभावी और कारगर बनाने के लिए यह जरूरी है कि मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक बैठक में इस पर नियमित रूप से विस्तृत चर्चा की जाए और इसे कार्यसूची की एक स्थायी मद के रूप में शामिल किया जाए ।

15. हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं के संबंध में जारी किए गए नये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यशाला की न्यूनतम अवधि 01 कार्य दिवस की होगी। कार्यशाला में न्यूनतम दो तिहाई समय कार्यशाला से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए । राजभाषा विभाग द्वारा कार्यशाला में प्रयोग हेतु 'कार्यशाला संदर्शिका' वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है ।

16. प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से कर सकें ।

17. राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को नामित करें और नामित कर्मचारियों को निदेश दें कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें, पूरी तत्परता से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा परीक्षाओं में बैठें। प्रशिक्षण को बीच में छोड़ने या परीक्षाओं में न बैठने वाले मामलों को कड़ाई से निपटा जाए ।

18. अनुवादकों को सहायक साहित्य, मानक शब्दकोश (अंग्रेजी-हिंदी व हिंदी-अंग्रेजी) तथा अन्य तकनीकी शब्दावलियां उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अनुवाद कार्य में इनका उपयोग कर सकें।

19. सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिंदी में प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों के लाभ के लिए 'लीला' (लर्निंग इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) हिंदी प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ आदि सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध करवाएं ।

20. सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि अपने-अपने दायित्वों से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने तथा अपने विषयों से संबंधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ।

21. अपने कार्य-व्यवहार में आम जीवन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल दिया जाए, ताकि सामान्य नागरिक तक सरकारी नीतियों/ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें |

22. सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि अपने केंद्रीय सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों में राजभाषा हिंदी में प्रशिक्षण की व्यवस्था उसी स्तर पर करें, जिस स्तर पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में कराई जाती है और अपने विषयों से संबंधित साहित्य का सृजन करवाएं, जिससे प्रशिक्षण के बाद अधिकारी अपना सरकारी कामकाज सुविधापूर्वक राजभाषा हिंदी में कर सकें । सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम मल्टीमीडिया प्रॉजेक्टर, लैपटॉप आदि के माध्यम से आडियो/विज़ुअल रूप मे दिया जाए ।

23. सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संस्थान आदि अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं । इन पत्रिकाओं में विशेषकर उक्त कार्यालय के सामान्य कार्यों तथा राजभाषा हिंदी से संबंधित मौलिक आलेख प्रकाशित किए जाएं ।

24. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की छमाही बैठकों में सदस्य कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख अनिवार्य रूप से भाग लें ।

25. सभी मंत्रालय विभाग अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में वर्ष 2016-17 के वार्षिक कार्यक्रम से संबंधित समेकित अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को 31 मई, 2017 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

26. कम्प्यूटर पर हिंदी प्रयोग के लिए केवल यूनिकोड इनकोडिंग का प्रयोग किया जाए ।

27. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी मंत्रालयें/ विभागों आदि द्वारा प्रयोग में लाई जा रही कंप्यूटर प्रणालियों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा हो और उसका प्रयोग किया जाए ।

28. मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरूप हो | उन सब के लिए वही वेतनमान मंजूर किए गए हैं जो कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग को प्रदान किए गए हैं ।

29. हिंदी कार्यशालाओं में हिंदी लेखन अभ्यास पर बल दिया जाए तथा यूनिकोड इनकोडिंग, ई-मेल, डिक्टेशन का उपयोग करना भी सिखाया जाए |

30. कार्यालय-प्रमुखों को कामकाज में मूल रूप से हिंदी का प्रयोग करने की पहल करनी चाहिए |

31. हिंदी भाषा का ज्ञान राजभाषा के कार्यान्वयन का आधार है | अत: सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए भी कम से कम एक सत्र होना चाहिए |

32. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग राजभाषा कीर्ति पुरस्कार देता है । वर्ष 2016-17 से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत आंशिक संशोधन करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (न.रा.का.स) को दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या 3 से बढ़ा कर 6 कर दी गई है । 'क', 'ख' व 'ग' क्षेत्रों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को दो-दो शील्ड प्रदान की जाएंगी एवं पुरस्कार विजेता नराकास के सदस्य-सचिव को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा । योजना की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है ।

33. राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का ज्ञान रखने वाले सरकारी कार्मिकों की हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करना है । इन कार्यशालाओं में मुख्य रूप से सरकारी काम हिंदी में किए जाने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। यह अभ्यास संबंधित कार्मिकों के रोजमर्रा के कार्य से संबंधित होना चाहिए । कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी एवं कार्यशाला में न्यूनतम दो-तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए ।

34. केंद्र सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हिंदी पदों का मानक राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित किया गया है । यह मानक मंत्रालय/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के साथ-साथ स्वायत्त निकायों पर भी लागू होते हैं । इसकी विस्तृत जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है ।

35. राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हर वर्ष 5 दिवसीय 100 हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित करें । कार्यक्रम की जानकारी www.rajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

36. राजभाषा विभाग की पत्रिका राजभाषा भारती में प्रकाशित नियमित लेखों के लिए मानदेय की राशि बढ़ाकर 3000/- रु की गई है । इसी तरह विशेषांक में प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय की राशि बढ़ाकर 5000/- रु की गई है ।

37. सभी मंत्रालय/विभाग हर तिमाही में हिंदी संगोष्ठी का आयोजन करें ।

38. गृह पत्रिकाओं में संगठन के कार्य-क्षेत्र संबंधी लेख अधिक से अधिक शामिल किए जाएं ताकि अधिकारी/कर्मचारी उससे संबन्धित शब्दावली से लाभान्वित हो सकें ।

39. राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करें और जारी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपांतर, अंग्रेजी के ऊपर रहे ।

40. 14 सितम्बर, 2016 से हिंदी में श्रुतलेख देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करके 5000/- रुपए कर दी गई है ।

41. सरकारी कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने के लिए आयोजित की जानेवाली कार्यशाला में प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को मानदेय राशि दी जाती है । इसके अंतर्गत केंद्र/ राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 500/- रुपए का पारिश्रमिक मानदेय होता है । किसी भी वक्ता को 1 वर्ष में पारिश्रमिक मानदेय के रूप में देय राशि 5000 रुपए से अधिक नहीं होगी । केंद्र /राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अतिथि वक्ताओं को 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 1000 रुपए का पारिश्रमिक मानदेय दिया जाता है । 5000 रुपए प्रति वर्ष देय पारिश्रमिक/ मानदेय की सीमा इस श्रेणी पर लागू नहीं होगी ।

42. कोई भी गैर सरकारी संस्था, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है । राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण नि:शुल्क देते हैं एवं राजभाषा पर विचार-विमर्श के लिए कार्यशाला का आयोजन करते हैं । राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार सभी कार्यालय/बैंक/उपक्रम इत्यादि अपने - अपने कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला आयोजित करते हैं । राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है । अतः गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा आयोजित किए जा रहे राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्याशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना वांछनीय नहीं है ।

43. केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों/ सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए समय- समय पर हिंदी गृह पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं । इन पत्रिकाओं के कलेवर, साज सज्जा और लेखों की शैली में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । हिंदी पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार की ओर से उल्लिखित संगठनों द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक भाषाई क्षेत्र यथा 'क', 'ख' एवं 'ग' में इस योजना में 2-2 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । पुरस्कारों के अंतर्गत शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं । इस योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार देय नहीं हैं । पुरस्कार पाने हेतु पत्रिका में कम से कम 40 पृष्ठ होने चाहिए । हिंदी में पृष्ठों की संख्या कुल मुद्रित पृष्ठों की कम से कम 80 प्रतिशत होनी चाहिए। पत्रिका के 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान कम से कम 2 अंक प्रकाशित होने चाहिए ।

44. आधुनिक ज्ञान/ विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रुप से राजभाषा हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग राजभाषा गौरव पुरस्कार देता है । राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है ।

45. राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न संस्थाओं के लिंक दे रखे हैं जिनके माध्यम से इन संस्थाओं की शब्दावली देखी जा सकती है । इस संबंध में यदि कार्यालयों द्वारा कोई अपनी शब्दावली तैयार की गई है, तो वह उसे विभाग से साझा करें ताकि बाकी कार्यालय भी लाभान्वित हो सकें ।

46. यह देखा गया है कि वेबसाइट पर या तो सूचना हिंदी में नहीं दी जाती या पूर्णतया हिंदी में उपलब्ध नहीं है । अपनी वैबसाइट सम्पूर्ण रूप से हिन्दी में विकसित करवाएं ।

47. हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी इसी क्रम में प्रयोग की जानी चाहिए ।

48. मैनुअल/कोड/फार्म आदि की पांडुलिपियों को द्विभाषी रूप में तैयार करा कर ही मुद्रण के लिए भिजवाया/स्वीकार किया जाए ।

*****

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 85% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)

13.	(I) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	**25%(न्यूनतम)**	**25%(न्यूनतम)**	**25%(न्यूनतम)**
	(II) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	**25%(न्यूनतम)**	**25%(न्यूनतम)**	**25%(न्यूनतम)**
	(III) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	**100%**		

वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है ।

The Annual Programme for the year 2017-18 can be downloaded from Department of Official Language Portal

www.rajbhasha.gov.in

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), एन.डी.सी.सी.।। बिल्डिंग, बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड , नई दिल्ली - 110001

द्वारा प्रकाशित

Published by Department of Official Language (Ministry of Home Affairs),
NDCC-II, 4th Floor, 'B' Wing, Jai Singh Road , New Delhi-110001.
दूरभाष/Telephone 23438137
E-mail : jsol@nic.in ; techcell-ol@nic.in